भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2670
05.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फेम योजना की स्थिति और भविष्य

2670. **डॉ. अमर सिंह:**
श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:
एडवोकेट डीन कुरियाकोस:
श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:
श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फेम-।। योजना के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से राजसहायता वितरण की स्थिति क्या है, जिसमें वितरित कुल राशि और श्रेणी-वार लाभार्थियों का ब्यौरा शामिल है;

(ख) सरकार द्वारा फेम-। योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं को प्रतिपूर्ति में देरी के कारण और लंबित दावों के समाधान के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी में आग लगने से संबंधित सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए परीक्षण मानक, विनिर्माता की जवाबदेही और उपभोक्ता सुरक्षा प्रोटोकॉल संबंधी क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) फेम-।। योजना को मार्च 2025 से आगे नहीं बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं और क्या इलेक्ट्रिक वाहनों को निरंतर अपनाने में सहायता के लिए कोई उत्तराधिकारी योजना या नीतिगत ढांचा विचाराधीन है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): 31 मार्च 2025 तक ई-दुपहिया, ई-तिपहिया और ई-चौपहिया सहित इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए फेम-II स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी अर्थात मांग प्रोत्साहन के वितरण की स्थिति, जिसमें वितरित कुल राशि और श्रेणीवार लाभार्थी विवरण शामिल हैं, निम्नानुसार है:

इलेक्ट्रिक वाहन श्रेणी	सब्सिडी भुगतान किये गए इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या	वितरित कुल मांग प्रोत्साहन (करोड़ रुपये में)
दुपहिया	**14,28,882**	**4,912**
तिपहिया	**1,64,718**	**1,110**
चौपहिया	**22,615**	**537**
कुल	**16,16,215**	**6,559**

(ख): फ़ेम-I स्कीम 31.03.2019 को समाप्त हो गई है, इसलिए देरी का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग): इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी में आग लगने से संबंधित सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय, जिनमें परीक्षण मानक, निर्माता की जवाबदेही और उपभोक्ता सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल हैं, निम्नानुसार हैं:

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने 27 दिसंबर, 2021 के का.आ. 5419 (अ) के माध्यम से समय-समय पर संशोधित एआईएस -038(संशोधित 1)/2015 के अनुसार इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों के लिए निर्माण और कार्यात्मक सुरक्षा आवश्यकताओं को अधिसूचित किया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 28 सितंबर 2022 के का.आ. 4567 (अ) के माध्यम से ऑटोमोटिव उद्योग मानकों (एआईएस), एआईएस:156 और एआईएस:038 (संशोधित 2) में संशोधन किया है। ये संशोधन 1 दिसंबर, 2022 से लागू हैं और इन एआईएस के कुछ खंड 31 मार्च, 2023 से प्रभावी हैं। इन संशोधनों ने ईवी बैटरियों और उनके घटकों के लिए मानकों और तकनीकी आवश्यकताओं को बढ़ाया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने क्वाड्रिसाइकिल, ई-रिक्शा, दुपहिया और चौपहिया वाहनों सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में उत्पादन अनुरूपता (सीओपी) की आवश्यकताओं के लिए सा.का.नि. 888 (अ) दिनांक 19 दिसंबर, 2022 के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सा.का.नि. 721 (अ) दिनांक 21 नवंबर, 2024 के माध्यम से अधिसूचित किया है कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन से सुसज्जित निर्माण उपकरण वाहन, एआईएस-174 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को तब तक पूरा करेंगे, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं कर दिया जाता।

(घ): फेम-II स्कीम 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक लागू की गई थी। ई-दुपहिया और ई तिपहिया के प्रोत्साहन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) 2024 शुरू की, जिसे 1 अप्रैल, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक छह महीने की अवधि के लिए 778 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ लागू किया गया था।

इसके बाद, गृह मंत्रालय ने 29.09.2024 को 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, 31 मार्च, 2026 तक, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम को अधिसूचित किया। पीएम ई-ड्राइव ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रकों और ई-एम्बुलेंस के लिए मांग प्रोत्साहन के साथ-साथ ई-बसों, ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवी पीसीएस) की स्थापना और परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए अनुदान का प्रावधान करता है। ईएमपीएस 2024 को अब पीएम ई-ड्राइव स्कीम में शामिल कर लिया गया है।

*****